



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19343 वर्ष 2025

नीलम चौधरी
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता,
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे और उनकी सहायता कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु सिंह तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की दलीलें सुनीं।
- हालांकि वर्तमान रिट याचिका मुख्य अभियंता, (मुख्यालय-II) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा दिनांक 09.12.2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ता का तबादला किया गया है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने मुख्य अभियंता, (मुख्यालय-II) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा दिनांक 03.02.2026 को पारित एक आदेश प्रस्तुत किया है, जिसमें दिनांक 09.12.2025 के स्थानांतरण आदेश को वापस लिया गया है।
- अतः, रिट याचिका निरर्थक होने के कारण खारिज की जाती है।
- दिनांक 03.02.2026 का आदेश, जो आज दाखिल किया गया है, उसे परिशिष्ट ए के रूप में अभिलेख में दर्ज किया गया है।

4 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"